

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प० 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 5/7/2023

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.06.23 के द्वारा श्री दिनेश जोशी, एडिशनल गवर्नर्मेंट कॉसिल, जोधपुर की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की गयी थी, श्री जोशी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष पैरवी हेतु आवंटित विभागों को निम्नांकित कौसिलगण को उन्हें पूर्व में आवंटित विभागों के अतिरिक्त निम्नानुसार आवंटित किये जाते हैं:-

क्रमांक	कौसिल का नाम	विभाग
1	श्री लूणकरण पुरोहित, गवर्नर्मेंट कौसिल	Devasthan and GAD
2.	श्री इन्दुशेखर पारीख, एडिशनल गवर्नर्मेंट कौसिल	Colonization and Disaster management

आज्ञा से,

Sd/-
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष, देवस्थान/सामान्य प्रशासन विभाग/उपनिवेशन/आपदा प्रबन्धन विभाग।
6. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
7. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैच।
8. समस्त अति० महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
13. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
14. संबंधित कोषाधिकारी।
15. लेखा शाखा, विधि विभाग।
16. श्रीग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

3
05/07/23

शासन सचिव, विधि